लम्बानी कला

संदर्भ: हम्पी में तीसरी G20 CWG बैठक में, ' लम्बानी कला वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन' के लिए गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।

रिकार्ड के बारे में

- संदुर कुशल कला केंद्र (एसकेकेके), लम्बानी महिला कारीगरों को कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सहयोग कर रहा है।
- वस्तुओं में 1755 पैचवर्क के साथ जीआई टैग वाली संदुर लम्बानी कढ़ाई प्रदर्शित की गई।
- गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि प्रधानमंत्री के अभियान, मिशन 'LiFe' के साथ संरेखित है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है।
- CWG की 'संस्कृति फॉर लाइफ' पहल का उद्देश्य हरित भविष्य की दिशा में स्थिरता और ठोस कार्रवाई को बढ़ावा देना भी है।

लम्बानी कला के विषय में

- लम्बानी कढ़ाई कर्नाटक में लम्बानी समुदाय, जिसे बंजारा समुदाय के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक शिल्प है।
- इसमें आकर्षक धागे, दर्पण का काम और विभिन्न कपड़ा वस्तुओं पर जटिल सिलाई पैटर्न शामिल हैं।
- लम्बानी कला को 2010 में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त हुआ था।
- शिल्प में अनप्रयुक्त कपड़े के टुकड़ों को कुशलतापूर्वक एक साथ सिलने का कार्य किया जाता है।
- संदुर, केरी टांडा, मरियम्मनहल्ली, कादिरामपुर, सीताराम टांडा, बीजापुर और कमलापुर जैसे गांवों में प्रचलित है।
- लम्बानी कढ़ाई महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करती है और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है।

लम्बानी समुदाय

- लम्बानी समुदाय, जिसे लम्बाडी या बंजारा के नाम से भी जाना जाता है, अफगानिस्तान से आया और कर्नाटक एवं भारत के अन्य हिस्सों में जाने से पहले राजस्थान में स्थानांतरित हो गया।
- ऐतिहासिक रूप से, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिणी भारत में माल परिवहन में मुगल सम्राट औरंगजेब की सहायता की थी।
- 18वीं शताब्दी में, ब्रिटिश अधिकारियों ने 1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू किया, जिससे लम्बानी समुदाय के मुक्त आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया गया।
- बंजारा समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को "गोरबोली," "गोर माटी बोली," या "ब्रिंजारी" के नाम से जाना जाता है, जो इंडो-आर्यन भाषाओं के अंतर्गत वर्गीकृत एक स्वतंत्र बोली है।
- लम्बानी समुदाय को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लम्बाडा या लम्बाडी, आंध्र प्रदेश में सुकाली, कर्नाटक में लम्बानी और राजस्थान में ग्वार या ग्वारैया।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए)

संदर्भ: पेप्सिको द्वारा अपनी ' विशिष्ट आलू' किस्म के पेटेंट अधिकारों के संबंध में पीपीवीएफआरए के आदेश के खिलाफ दायर अपील को हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग्यता की कमी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था।

- पेप्सिको की आलू की किस्म 'FL 2027' के लिए पंजीकरण PPVFRA द्वारा PPVFR अधिनियम में दिए गए आधारों के तहत रद्द कर दिया गया था।
- 'FL 2027' चिपिंग आलू की एक किस्म है जो अपनी वांछनीय विशेषताओं के कारण चिप निर्माण के लिए उपयुक्त है।
- पेप्सिको ने दावा किया कि यह किस्म फ्रिटो-ले कृषि अनुसंधान के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा विकसित की गई थी।
- पेप्सिको इंडिया के पास 'FL 2027' के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र था, लेकिन एक किसान अधिकार कार्यकर्ता के आवेदन के आधार पर इसे 3 दिसंबर, 2021 को रद्द कर दिया गया था।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

पीपीवीएफआर अधिनियम

- पीपीवीएफआर अधिनियम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
  - पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली की सुविधा प्रदान करना।
  - पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना।
  - पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान से संबंधित किसानों के अधिकारों की रक्षा करना।
  - उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करके बीज उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाना।
- 2001 में भारत में अधिनियमित पीपीवीएफआर अधिनियम का उद्देश्य ट्रिप्स समझौते को लागू करना है।
- अधिनियम ट्रिप्स के मूल सिद्धांतों को बनाए रखता है, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों को तकनीकी नवाचार के लिए प्रोत्साहन के रूप में मानता है।
- हालाँकि, अधिनियम में किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।
- अधिनियम के तहत, किसानों को पेटेंट-संरक्षित फसलें और बीज बोने, उगाने, विनिमय करने और बेचने की अनुमति है, केवल उन्हें "ब्रांडेड बीज" के रूप में बेचने पर प्रतिबंध है।
- अधिनियम किसानों के लिए तीन भूमिकाओं को मान्यता देता है: कृषक, प्रजनक और संरक्षक।

अधिनियम के तहत अधिकार

- **प्रजनकों के अधिकार:**
  - प्रजनकों के पास संरक्षित पौधों की किस्म का उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने का विशेष अधिकार है।
  - वे इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एजेंट या लाइसेंसधारी नियुक्त कर सकते हैं।
  - प्रजनक के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में नागरिक उपचार उपलब्ध हैं।
- **शोधकर्ताओं के अधिकार:**
  - शोधकर्ता प्रयोग या अनुसंधान करने के लिए पंजीकृत पौधों की किस्मों का उपयोग कर सकते हैं।
  - किसी अन्य किस्म को विकसित करने के लिए प्रारंभिक स्रोत के रूप में एक किस्म के उपयोग की अनुमति है, लेकिन बार-बार उपयोग के लिए पंजीकृत प्रजनक से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
- **किसानों के अधिकार:**
  - जिन किसानों ने पौधों की नई किस्म विकसित की है, वे प्रजनकों की तरह ही इसे पंजीकृत और संरक्षित कर सकते हैं।
  - किसानों की किस्मों को मौजूदा किस्मों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
  - किसान संरक्षित किस्मों के ब्रांडेड बीज बेचने के अलावा, संरक्षित किस्मों के बीजों सहित अपनी कृषि उपज को बचा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, बो सकते हैं, दोबारा बो सकते हैं, आदान-प्रदान कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं या बेच सकते हैं।
  - किसान पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए मान्यता और पुरस्कार के पात्र हैं।
  - किसी किस्म का अच्छा प्रदर्शन न करने पर किसानों को मुआवजा प्रदान किया जा सकता है।
  - अधिनियम के तहत प्राधिकरण, रजिस्ट्रार, ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में किसानों से कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है।

मेजराना जीरो मोड

संदर्भ: माइक्रोसॉफ्ट ने एक विशिष्ट कण मेजराना जीरो मोड बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया है जो संभावित रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति ला सकता है।

मेजराना क्या है?

- मेजराना फर्मिऑन को संदर्भित करता है जो अपने स्वयं के एंटीपार्टिकल्स हैं।

- यह अवधारणा पॉल डिराक की 1928 में प्रत्येक कण के लिए एंटीपार्टिकल्स की भविष्यवाणी से उत्पन्न हुई थी।
- डिराक के समीकरण ने उन कणों की संभावना की अनुमति दी जो उनके स्वयं के प्रतिकण हो सकते हैं।
- मेजराना फर्मिऑन का नाम इतालवी भौतिक विज्ञानी एटोर मेजराना के सम्मान में रखा गया है।
- न्यूट्रिनो उपपरमाण्विक कणों का एक वर्ग है जिसके बारे में भौतिकविदों का मानना है कि यह संभावित रूप से मेजराना फर्मियन हो सकता है।

मेजराना जीरो मोड क्या है?

- प्रत्येक कण में चार क्वांटम संख्याएँ होती हैं जो उसके विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में काम करती हैं।
- क्वांटम स्पिन के आधे-पूर्णांक मानों की विशेषता वाले फ़र्मियन, इसके साथ कोई भी कण हो सकते हैं।
- जब एक साथ बंधे दो कणों का कुल क्वांटम स्पिन आधे-पूर्णांक मान का होता है, तो उन्हें फ़र्मियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- मेजराना फर्मियन बाध्य अवस्थाओं को संदर्भित करते हैं जो उनके स्वयं के एंटीपार्टिकल्स हैं, जिसके परिणामस्वरूप इनके मिलने पर विनाश होता है।
- मेजराना जीरो मोड विशेष रूप से इन बाध्य अवस्था का वर्णन करते हैं जो मेजराना फर्मियन की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं।

यह कंप्यूटिंग में कैसे मदद करता है?

- मेजराना शून्य मोड टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग को सक्षम कर सकता है, जो उन्नत सूचना सुरक्षा प्रदान करता है।
- टोपोलॉजिकल प्रणालियों में, अध:पतन तब होता है जब किसी प्रणाली में निम्नतम ऊर्जा स्तर पर कई अवस्थाएँ होती हैं।
- टोपोलॉजी पदार्थ के उन गुणों का अध्ययन करती है जो निरंतर विकृतियों के तहत अपरिवर्तित रहते हैं।
- मेजराना शून्य मोड में युग्मित इकाइयां (इलेक्ट्रॉन और छिद्र) शामिल हैं जिन्हें क्यूबिट की सुसंगतता बनाए रखते हुए अलग किया जा सकता है।
- भले ही एकल इकाई विचलित हो, समग्र क्वबिट सुरक्षित रहता है, टोपोलॉजिकल सिस्टम में एन्कोडेड जानकारी को संरक्षित करता है।

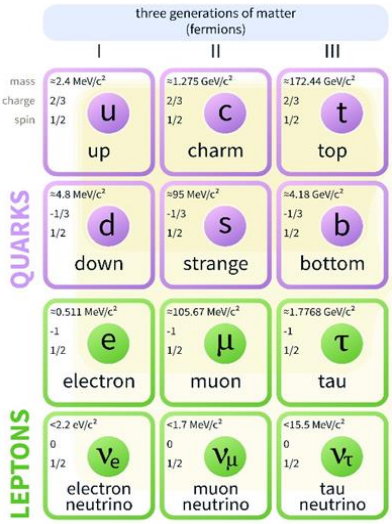

फर्मियन क्या हैं?

- फ़र्मिअन उपपरमाण्विक कण हैं जिनमें कोणीय गति (स्पिन) के विषम अर्ध-अभिन्न मान होते हैं।
- इनका नाम फर्मी-डिराक सांख्यिकी के आधार पर रखा गया है, जो उनके व्यवहार का वर्णन करता है।
- फ़र्मियन के उदाहरणों में लेप्टान (जैसे, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन), बेरिऑन (जैसे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लैम्ब्डा कण) और कुछ नाभिक शामिल हैं।
- फर्मियन पाउली अपवर्जन सिद्धांत का पालन करते हैं, जो एक ही प्रकार के कई कणों को एक ही क्वांटम स्थिति पर कब्जा करने से रोकता है।
- बहिष्करण सिद्धांत पदार्थ को अत्यधिक सघन अवस्था में ढहने से रोकता है और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन विन्यास को नियंत्रित करता है।
- फर्मिऑन को कण-प्रतिकण के जोड़े में बनाया और नष्ट किया जा सकता है।
- फर्मियन के विपरीत, बोसॉन ऐसे कण होते हैं जिनमें कोणीय गति (स्पिन) का अभिन्न मान होता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

NEWS IN BETWEEN THE LINES

विश्व मलाला दिवस

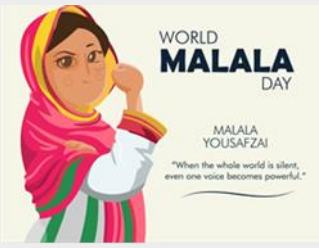

सन्दर्भ: सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र पदनाम: वर्ष 2015 में, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में नामित किया।

वैश्विक उत्सव: दुनिया भर में लोग लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित करके अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाते हैं।

मलाला यूसुफजई के बारे में:

- लड़कियों की शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए वर्ष 2012 में तालिबान के हमले से बचने के बाद मलाला यूसुफजई ने वैश्विक ध्यान इस ओर आकर्षित किया।
- वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित **मलाला कोष** की संस्थापक हैं।
- मलाला ने वर्ष 2017 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हुए स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
- उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति दूत के रूप में नियुक्त किया गया था और मानवाधिकारों की वकालत के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल एंबेसडर ऑफ कॉन्शियस अवार्ड प्राप्त हुआ था।
- मलाला ने **"मैं मलाला हूं"** नामक एक किताब लिखी है और इसमें वह अपनी यात्रा और शिक्षा अधिकारों के लिए लड़ाई का वर्णन कर रही है।
- वर्ष 2022 में, उन्होंने लैंगिक समानता की दिशा में काम करने वाली युवा महिलाओं का समर्थन करते हुए द मलाला नेटवर्क भी लॉन्च किया।

पूजा स्थल अधिनियम

सन्दर्भ: हाल ही में, उच्चतम न्यायलय ने पूजा स्थल अधिनियम की वैधता पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार को 31 अक्टूबर तक का समय दिया है।

पूजा स्थल अधिनियम का उद्देश्य: पूजा स्थल अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है और इसका उद्देश्य इन स्थानों के धार्मिक चरित्र को बनाए रखना है जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद था।

पहचान संरक्षण: यह अधिनियम पूरे भारत में धार्मिक स्थानों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को संरक्षित करने का प्रयास करता है।

छूट: अधिनियम कुछ पूजा स्थलों को छूट देता है, जैसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत आने वाले स्थल।

आलोचनाएँ: पूजा स्थल अधिनियम को न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाने, पूर्वव्यापी कटऑफ तिथि लगाने और कथित तौर पर धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिससे धर्मनिरपेक्षता के साथ इसकी संगतता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

प्रावधान: इस अधिनियम की धारा 3 पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाती है, धारा 4(1) 15 अगस्त, 1947 के अनुसार उनके धार्मिक चरित्र को संरक्षित करती है और धारा 4(2) कटऑफ तिथि के बाद रूपांतरणों को छोड़कर, लंबित मुकदमों को समाप्त कर देती है।

कुनो राष्ट्रीय उद्यान

संदर्भ: हाल ही में, चार महीनों में सातवें अफ्रीकी चीते (तेजस) की मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में संभवतः आपसी लड़ाई के कारण मृत्यु हो गई।

क्षेत्र एवं अवस्थिति: कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में विंध्य पहाड़ियों के पास स्थित है। 748 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करने वाला यह पार्क शुरू में एक वन्यजीव अभयारण्य था और बाद में 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया।

कुनो नदी: इस पार्क का नाम कुनो नदी के नाम पर रखा गया है, जो चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो इस क्षेत्र से होकर बहती है।

जैव विविधता: यह पार्क विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों का घर है, जिनमें जंगली बिल्ली, भारतीय तेंदुआ, स्लॉथ भालू, भारतीय भेड़िया, धारीदार लकड़बग्घा, सुनहरा सियार, बंगाल लोमड़ी, ढोल और 120 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं।

प्रोजेक्ट चीता: यह जनवरी 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दुनिया की पहली अंतर-महाद्वीपीय बड़े जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में लगभग 50 चीतों को जंगल में फिर से लाना है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

अश्रु ग्रंथि (लैक्रिमल ग्रंथि)

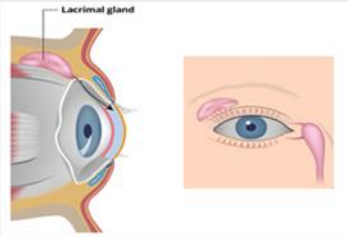

लैक्रिमल ग्रंथि क्या है?

लैक्रिमल ग्रंथि आंख के गर्तिका के ऊपरी बाहरी कोने में स्थित एक ग्रंथि है, जो आंसू उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है,यह आंख की सतह को चिकनाई, पोषण और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है।

कार्य: यह आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और स्पष्ट दृष्टि के लिए उचित नमी और चिकनाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अश्रु के घटक: अश्रुओं में पानी, बलगम, तेल, एंटीबॉडी और एंजाइम होते हैं जो आंखों को नम रखने और संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं।

कंजंक्टिवा में उभार: जब कोई व्यक्ति रोता है या भावनात्मक परेशानी का अनुभव करता है, तो लैक्रिमल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, जिससे आंसू स्राव होता है, जिससे कंजंक्टिवा में उभार आ जाता है।

फ्लैप वाल्व: लैक्रिमल डक्ट के टर्मिनल भाग में एक फ्लैप वाल्व होता है जो आंसू द्रव को हवा द्वारा पीछे धकेले जाने से रोकता है।

जीएसटी परिषद

संदर्भ: हाल ही में, जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर एक समान 28% कर आरोपित करने की स्वीकृति दी है।

जीएसटी परिषद क्या है?

जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है।

संरचना: परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ-साथ आवश्यक समझे जाने वाले अन्य सदस्य शामिल होते हैं।

मुख्य कार्य: परिषद वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर की दरें निर्धारित करती है, राजस्व वृद्धि के उपायों की सिफारिश करती है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को हल करती है और अन्य नीति-संबंधित मामलों को संबोधित करती है।

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण: परिषद ने जीएसटी से संबंधित मुकदमेबाजी को हल करने के लिए 1 अगस्त तक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया।

समाचार में स्थान

प्योंगयांग

सन्दर्भ : हाल ही में उत्तर कोरिया ने अमेरिका को निशाना बनाने के उद्देश्य से प्योंगयांग से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है।

स्थान: प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, जो देश के पश्चिमी भाग में स्थित है।

महत्व: यह उत्तर कोरिया का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है।

राजनीतिक महत्व: प्योंगयांग कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी और उत्तर कोरिया की सरकार के लिए सत्ता के आधार के रुप में कार्य करती है।

वास्तुकला के चमत्कार: यह शहर अपनी प्रभावशाली वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें ज्यूचे टॉवर और सन के कुमसुसन पैलेस जैसे प्रतिष्ठित स्थल शामिल हैं।

सांस्कृतिक केंद्र: प्योंगयांग कई सांस्कृतिक संस्थानों, संग्रहालयों और थिएटरों का घर है, जो देश की कला, इतिहास और प्रदर्शन कलाओं का सहेजे हुए है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com